



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 316 राँची, सोमवार,

18 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2022

संख्या-5/ आरोप-1-110/2018-6948 (HRMS)--श्री सत्यम कुमार, झा०प्र०से०, (पंचम बैच, गृह जिला-औरंगाबाद 'बिहार'), के विरुद्ध इनके दो पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') में उपलब्ध कराया गया। प्रथम आरोप पत्र, इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू के कार्यावधि से संबंधित है, जो ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3584, दिनांक 20.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) प्रखण्ड लेस्लीगंज के विभिन्न पंचायतों यथा- रजहारा, सांगबार, पूर्णाडीह, हरतुआ, चैरा एवं पीपराखुर्द में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं में कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन द्वारा बार-बार निदेशित/स्मारित करने के बावजूद अनुपालन नहीं किया जाना। इस संबंध में इस कार्यालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-402/मनरेगा दिनांक-21.06.2018 द्वारा सभी पत्रों के विवरण के साथ एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, किन्तु अब तक अनुपालन नहीं किया जाना ।

(ii) PMAY-G में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अंतर्गत लाभुकों के आवास स्वीकृति के बाद गलत कारण अंकित करते हुये लक्ष्य का प्रत्यार्पण करना। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-618/डी०आर० डी०ए० दिनांक-29.06.2018 द्वारा कारण पृच्छा की गयी, किन्तु अब तक उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखण्ड को 662 इकाई का लक्ष्य इस कार्यालय के पत्रांक-164/DRDA दिनांक-17.02.2018 द्वारा आवंटित किया गया, किन्तु अबतक शत-प्रतिशत लाभुकों का निबंधन एवं जियो टैगिंग नहीं कराया गया। इस संबंध में पुनः कार्यालय के पत्रांक-283/ दिनांक-22.03.2018 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी अब तक शत-प्रतिशत लाभुकों का निबंधन एवं जियो टैगिंग नहीं कराया जाना ।

(iii) सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ग्राम स्वराज अभियान-ii के प्रखण्ड लेस्लीगंज के पंचायत जुरू एवं पूर्णाडीह में प्राप्त निदेशों के बावजूद कोई भी कार्यक्रम नहीं कराना। केन्द्र/राज्य सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में अभिरुचि नहीं लेना, ना ही अपने अधिनस्थ कर्मियों को आवश्यक निदेश से अवगत कराया जाना ।

(iv) दिनांक-09.05.2018 को माननीय विधायक, पांकी विधान सभा क्षेत्र के बीच भी कतिपय बिन्दुओं को लेकर विवाद करना। माननीय सांसद, चतरा लोक सभा क्षेत्र, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाना ।

इनका यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन, सरकार के महत्वाकांक्षी एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है। अतएव इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है ।

श्री कुमार के विरुद्ध दूसरा आरोप पत्र इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजधनवार, गिरिडीह से संबंधित है, जो ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1864, दिनांक 16.05.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“दिनांक-23.10.2018 को श्री सत्यम कुमार, तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजधनवार, गिरिडीह सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध डॉ० रविन्द्र राय, माननीय सांसद के सांसद प्रतिनिधि एवं महिला कर्म के साथ दुर्व्यवहार करने इत्यादि आरोप लगाये गये हैं। पूर्व से इनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की रही है, जैसा कि श्री कुमार के विरुद्ध पूर्व पदस्थापित प्रखण्ड लेस्लीगंज, पलामू में पदस्थापन काल अवधि के दौरान प्राप्त है के लिए विभागीय कार्रवाई संचालित है ।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-2927(hrms), दिनांक 24.12.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं०-2362(hrms) दिनांक 28.05.2019 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-6936(hrms),

दिनांक 17.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-247, दिनांक 02.06.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित दोनों आरोपों पर उनके बचाव बचाव को स्वीकार करते हुए आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री सत्यम कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू/राजधनवार, गिरिडीह को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATYAM KUMAR 110017710579	श्री सत्यम कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू/राजधनवार, गिरिडीह को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सत्यम कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
